


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
---------------	-----------------------------------

12-12-22

पत्रावली पेश हुई वकील उर्फी अनुपस्थित  
 है। न्यायालय से रक-रक कर 3 बार  
 आवाजे लगवायी गई। इसके बाद भी  
 बार-बार आवाजे लगवायी गई। लेकिन  
 वकील उर्फी या उर्फी में से कोई भी  
 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः  
 न्यायालय इस उर्फी पत्र को जैरकार  
 रखना उचित नहीं समझता है। अतः  
 उर्फी पत्र अदम हाजरी अदम पैसे में  
 खारिज किया जाता है। निर्णय खुले  
 न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली  
 बाद तकमील दाखिल दफ्तर है।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नैनीताल

